प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' उनतालीस '

[20/3/2018]

प्रश्न सं. [क्र. 4700]

परिशिष्ट 'अ'

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमाक / स्था0–4 / व्ही. / 17 / 2018/745

भोपाल, दिनांक 01/03/18

प्रति,

श्री ब्रजेश मिश्रा,
संभागीय संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण, रीवा,
संभाग–रीवा।

विषयः– कारण बताओ सूचना पत्र।

----0----

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2783, दिनांक 25.07.2016 में मान.विधायक जी द्वारा जिला रीवा अंतर्गत वर्ष 2002 से 2004 तक शिक्षाकर्मियों की मृत्यु एवं उनके परिवारजन को अनुकंपा नियुक्ति एवं अनुग्रह राशि भुगतान किये जाने के संबंध में जानकारी चाही गई थी। जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी रीवा से प्राप्त उत्तर संतोषजनक नही होने के कारण जांच आपके द्वारा की गई। आपके द्वारा की गई जांच स्पष्ट एवं संतोजनक नही होने पर पुनः जांच करने हेतु श्री मनीष वर्मा, संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, जबलपुर संभाग जबलपुर को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुये आपको प्रकरण से संबंधित अभिलेख जांचकर्त्ता अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

प्रकरण के संबंध में जांचकर्त्ता अधिकारी श्री मनीष वर्मा, संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, जबलपुर संभाग जबलपुर ने अपने अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक / 2017 / विधान सभा / 3573, दिनांक 13 जुलाई 2017 के द्वारा अवगत कराया गया कि आपके एवं जिला शिक्षा अधिकारी रीवा को कई बार दूरभाष एवं पत्रो के माध्यम से अभिलेख एवं नस्ती उपलब्ध कराने के उपरांत भी आपके द्वारा प्रकरण से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नही कराने पर प्रकरण में जांच नही हो सकी, इसलिये जांच प्रतिवेदन संचालनालय को उपलब्ध नही कराया जा सका है। जिस पर आपको संचालनालय के पत्र क्रमांक / स्था0–4 / व्ही / आश्वा. / 18 / 2017 / 1557, दिनांक 09.08.2017 के द्वारा तत्काल प्रकरण से संबंधित मूल नस्ती एवं अभिलेख जांचकर्त्ता अधिकारी(संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, जबलपुर संभाग जबलपुर) को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

उक्त विधान सभा प्रश्न में दिये गये उत्तर पर जांच पूर्ण न होने एवं कार्यवाही नही होने पर मान.विधायक जी द्वारा प्रत्येक विधान सभा सत्र जांच प्रतिवेदन एवं कि गई कार्यवाही की जानकारी दिये जाने के संबंध में प्रश्न पुछा जाता है और प्रत्येक विधान सभा प्रश्न पर आश्वासन उद्भूत होता है। विधान सभा आश्वासन की पूर्ति हेतु आपको संचालनालय के पत्र क्रमांक / स्था0–4 / व्ही / आश्वा. / 2017 / 337, दिनांक 27.01.2018 को 10 दिवस की समय–सीमा जांच से संबंधित अभिलेख जांचकर्त्ता अधिकारी को उपलब्ध कराते हुये जांच में पूर्ण सहयोग प्रदान करने के निर्देश भी दिये जाने के बाद भी आपके द्वारा आज दिनांक तक जांच से संबंधित अभिलेख एवं नस्ती जांचकर्त्ता अधिकारी को उपलब्ध नही कराया गया है न ही किसी भी कार्यवाही से संचालनालय को अवगत कराया गया।

प्रकरण के संबंध में पुनः विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 4700 उद्भूत हुआ है जिसमें मान.विधायक जी द्वारा पूर्व विधान सभा प्रश्न में दिये गये उत्तर पर क्या कार्यवाही की गई की जानकारी चाही गई है। विधान सभा प्रश्न के संबंध में जांच नही होने के कारण प्रश्न का उत्तर दिया जाना संभव नही है।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1),
मंत्रालय, भोपाल

अतः उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देश के बाद भी विधान सभा प्रश्नो का संबंध संभाग अंतर्गत रीवा जिला से होने के कारण आपके द्वारा जांचकर्त्ता अधिकारी को प्रकरण से संबंधित अभिलेख एवं नस्ती उपलब्ध नही कराना एवं जांच में पूर्ण सहयोग प्रदान नही करने पर जांच पूर्ण नही हो सकी। जिसके कारण उद्भूत विधानसभा प्रश्नो एवं आश्वासनो का उत्तर नही दिया जा सका है। जिसके लिये आपका यह कृत्य म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 विपरीत होकर कदाचरण है। म.प्र.सिविल सेवा(नियत्रंण,वर्गीकरण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 16 के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाता है कि क्यों न आपके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया जावे?

इस संबंध में 21 दिवस में आप अपना प्रतिवाद अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें। उत्तर समयावधि में प्राप्त न होने पर यह मान लिया जावेगा कि इस संबंध में आपको कोई प्रतिवाद प्रस्तुत नही करना है, आपके विरूद्व आपके विरूद्व दो वेतन वृद्वि असंचयी प्रभाव से रोकने की कार्यवाही कर दी जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगे।

(नीरज दुबे)
आयुक्त
लोक शिक्षण,म.प्र.

पृ.क्रमाक / स्था0–4 / व्ही. / 17 / 2018/746
भोपाल,दिनांक 01/03/2018

प्रतिलिपिः–

1– प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय–भोपाल।
2– जिला कलेक्टर, रीवा।
3– संभागीय संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण,रीवा संभाग रीवा।

आयुक्त
लोक शिक्षण,म.प्र.